प्रेस नोट दिनांक 11.09.2025

प्रेस नोट दिनांक 11.09.2025
थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ

बीट पुलिसिंग की सतर्कता से गैंगस्टर गिरफ्तार

उ0नि0 रज्जन राव व बीट मुख्य आरक्षी ऋषिकेश तिवारी की चैकसी से संगीन अपराधों में वांछित अन्तर्जनपदीय गैंग लीडर दबोचा गया
थाना कन्धई पुलिस की बड़ी सफलता: गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गैंग लीडर गिरफ्तार
एसपी के निर्देशन में उ0नि0 रज्जन राव व बीट मुख्य आरक्षी ऋषिकेश तिवारी की सक्रियता से अपराधी पर कसा शिकंजा
प्रतापगढ़ पुलिस की सख्ती: संगठित अपराधों में लिप्त गैंगस्टर सलाखों के पीछे
थाना कन्धई के उ0नि0 रज्जन राव व बीट मुख्य आरक्षी ऋषिकेश तिवारी ने थाना बाघराय के मुकदमें में वांछित 01 गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

उ0नि0 रज्जन राव व बीट मुख्य आरक्षी ऋषिकेश तिवारी ने साये की तरह विछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कन्धई के उ0नि0 रज्जन राव व बीट मुख्य आरक्षी ऋषिकेश तिवारी को प्रशस्ति- पत्र, नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रविष्टि हेतु दिये गये निर्देश

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त पर संगठित तरीके से साजिश हत्या का प्रयास, गोवध अधिनियम, आर्म्स एक्ट व विस्फोटक अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराध में संलिप्त हैं

उ0नि0 रज्जन राव व बीट मुख्य आरक्षी ऋषिकेश तिवारी के सहयोग से थाना कन्धई पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी

जनपद में अपराध नियंत्रण/संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना कन्धई के बहादुर उ0नि0 रज्जन राव व बीट मुख्य आरक्षी ऋषिकेश तिवारी के सहयोग से दिनांक 10.09.2025 को थाना कन्धई पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 174/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना बाघराय में 01 वांछित अभियुक्त (गैंग लीड़र) हीरो उर्फ सफीक पुत्र नजर मोहम्मद नि0 रामपुर कुर्मियान थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थाना कन्धई क्षेत्रातंर्गत उसके घर के पास बगिया से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. हीरो उर्फ सफीक पुत्र नजर मोहम्मद नि0 रामपुर कुर्मियान थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ (गैंग लीड़र)

आपराधिक इतिहास-
(गैंग लीड़र) हीरो उर्फ सफीक पुत्र नजर मोहम्मद नि0 रामपुर कुर्मियान थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास ।

क्र0 1. अ0सं0 358/21 धारा 307, 3A, 5A गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना डीह जनपद रायबरेली
क्र0 2. अ0सं0 24/23 धारा 3, 5A, 8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता व 467, 468, 471 भादवि थाना थरवई जनपद प्रयागराज (गंगानगर)
क्र0 3. अ0सं0 124/21 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़
क्र0 4. अ0सं0 351/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़
क्र0 5. अ0सं0 87/23 धारा 3, 5A, 8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़
क्र0 6. अ0सं0 65/16 धारा 3, 5A, 8 गोवध निवा0 अधि0 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़
क्र0 7. अ0सं0 282/10 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़
क्र0 8. अ0सं0 355/09 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़
क्र0 9. अ0सं0 356/09 धारा 3, 5A, 8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़
क्र0 10. अ0सं0 393/10 धारा 3, 5A, 8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कन्धई जनपढ़ प्रतापगढ़
क्र0 11. अ0सं0 422/10 धारा 110G थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़
क्र0 12. अ0सं0 358/21 धारा 307, 3A, 5A गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़
क्र0 13. अ0सं0 42/21 धारा 3/5A/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़
क्र0 14. अ0सं0 132/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़
क्र0 15. अ0सं0 330/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़
क्र0 16. अ0सं0 193/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़
क्र0 17. अ0सं0 338/24 धारा 3/5A/8 गोवध अधि0 व 11(1)D पशु क्रूरता अधि0 थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़
क्र0 18. अ0सं0 174/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 11.09.2025
थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में बड़ी कार्यवाही थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या मामले में वांछित 01 अभियुक्त विकास सरोज गिरफ्तार
थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत विश्वनाथगंज बस स्टैण्ड के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में अभियुक्त ने किया हत्या का जुर्म कबूल, घटना का पूरा घटनाक्रम बताया-
प्रेम-प्रसंग के विवाद में युवक की हत्या की गई थी, जिसमें दिनांक 08.09.2025 को 02 अभियुक्तों को पूर्व मे गिरफ्तार किया गया था
मुकदमें से सम्बन्धित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र ही की जायेगी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
प्रेम-प्रसंग से नाराज होकर पुनीत पुत्र विनोद कुमार सरोज निवासी ग्राम नमक शायर थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ने अपने साथियों कुलदीप मुसहर, निसार एवं बाकेलाल उर्फ रमेश के साथ मिलकर युवक की हत्या की घटना को अंजाम दिया। जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0- 231/25 धारा 137(2)/140(2)/103 (1)/238/3(5) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में दिनांक 11.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार मय हमराह उ0नि0 अजीत सिंह, का0 विजय बघेल,

का० रवि प्रकाश यादव, का0 चन्द्रकेश द्वारा मु0अ0सं0- 231/25 धारा 137(2)/140(2)/103 (1)/238/3(5) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित प्रकाश में आये वाँछित 01 अभियुक्त विकास सरोज पुत्र फुलचन्द्र सरोज निवासी जमुआरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 22 वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत विश्वनाथगंज बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः-

1. विकास सरोज पुत्र फुलचन्द्र सरोज निवासी जमुआरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 22 वर्ष ।

इससे पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. निसार पुत्र स्व० हुसैन अली निवासी जमुआरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष ।
2. बांके लाल उर्फ रमेश कुमार पुत्र स्व० मेवालाल निवासी कादीपुर पूरेहिरावन थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ उम्र 27 वर्ष ।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 04.09.2025 को निसार और बांकेलाल उर्फ रमेश पृथ्वीगंज बाजार में दोपहर करीब 02 बजे मौजूद थे कि निसार के फोन पर नितिन पुत्र विनोद कुमार उर्फ कल्लू निवासी नमक शायर थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ का फोन आया (जो वर्तमान समय में बैंगलोर में है)कि आज विकास का काम लगाना है । क्योंकि वो मेरी बहन से फोन से बात करता है जिसे छेड़ता है, और बहुत परेशान करता है, इसके बाद हम लोग घर आये। वहां पर मैं तथा बाके लाल उर्फ रमेश, कुलदीप पुत्र नन्हें लाल निवासी नमक शायर थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ,पुनीत पुत्र विनोद कुमार उर्फ कल्लूनिवासी नमक शायर थाना कोतवाली देहात मोटर साइकिल से जमुआरी आये और निसार को बैठा कर वापस बाग में आये। इसके बाद पुनीत, कुलदीप, विकास पटेल को उसके गांव से लेकर मोटर साइकिल पर बैठाकर बाग में आये । इसके बाद हम सभी लोग पैदल-पैदल सुषमा गैस एजेन्सी से होते हुए उसके पीछे बने इनारा पर आये। साथ में कुछ लोग और थे जिनके बारे में कुलदीप और पुनीत को ही जानकारी है। उनके बारे में तथा उनका नाम पता कुलदीप, पुनीत ही बता सकते है। इसके बाद हम लोग इनारे से पहले विकास पटेल के साथ मारपीट किये थे। जब वह मरणासन्न हो गया था। तो हम सभी लोगो ने उसे उठाकर कुंए (इनारा) में फेंक दिया था। जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। जिसके बाद हम सभी लोग इधर उधर भाग गये थे। आज मै प्रयागराज होते हुए मुम्बई भागने की फिराक में था कि आप लोगो ने पकड़ लिया। हम ही लोगो ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है।

गिरफ्तारी पुलिस टीम-

निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार मय हमराह उ0नि0 अजीत सिंह, का0 विजय बघेल, का० रवि प्रकाश यादव, का0 चन्द्रकेश थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनाँक 11.09.2025

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़’

थाना मान्धाता पुलिस की बड़ी कार्यवाही : 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कुल 26 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा एवं जाइलो कार बरामद

एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी सफलता-

अभियुक्त बृजेश सिंह उर्फ साधू सिंह के कब्जे से कुल 25 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसको थाना क्षेत्रान्तर्गत गजेहडी पुलिया से गिरफ्तार किया गया है-

अभियुक्त अक्षय कुमार पटेल के कब्जे से कुल 1 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसको थाना क्षेत्रान्तर्गत वासुपुर ढेकाही पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकार रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में,

दिनाँक 11.09.2025 को थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 प्रभात वर्मा, हे0का0 अंजनी, हे0का0 आशाराम, का0 कमलदीप यादव, चालक वीसी मो0 अली द्वारा कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, चेकिंग के दौरान मुखबिर की महत्वपूर्ण सूचना पर थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत गजेहडी पुलिया से 01 अभियुक्त बृजेश सिंह उर्फ साधू सिंह पुत्र तेजबहादुर सिंह उम्र 50 वर्ष नि0 बासूपुर थाना मान्धाता प्रतापगढ को गिरफ्तार कर उसके पास से कुल 25 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा व 01 अदद जाइलो कार बरामद किया गया ।

इसी क्रम में थाना मान्धाता के उ0नि0 हेमन्त वर्मा मय हमराह का पंकज हे0का0 मुस्तकीम का0 विनोद कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र मामूर होकर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त अक्षय कुमार पटेल s/o रामदेव पटेल उम्र करीब 30 वर्ष नि0 ग्राम अमैया मऊ थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ को कुल 1.350 ग्राम अवैध गाजा के साथ थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत वासुपुर ढेकाही पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त बृजेश सिंह उर्फ साधू सिंह के कब्जे से कुल 25 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना मान्धाता में मु0अ0सं0 115/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है । अभियुक्त के कब्जे बरामद 01 अदद जाइलो कार को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त अक्षय कुमार पटेल के कब्जे से कुल 1.350 ग्राम अवैध गाजा बरामद किया गया जिसके संबंध में थाना मान्धाता में मु0अ0सं0 116/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त बृजेश सिंह उर्फ साधू सिंह ने पूछताछ में बताया कि इसमें तंबाकू है, पुनः कडाई से पूछा गया तो बताया कि इसमें गांजा है जिसें हम लोग तंबाकू भी बोलते हैं । एक सफेद कागज में थोडा सा गांजा बरामद हुआ जिसके बारे में पूछने पर बताया कि मै गांजा भी पीता हूँ इसलिये रखा था ।

अभियुक्त अक्षय कुमार पटेल ने पूछताछ में बताया कि इसमे गांजा है, जिसे मैने बृजेश सिंह उर्फ साधू से खरीदकर रखा था गांव–गांव घूमकर बेचता हूँ । थक जाने की वजह से पुलिया पर आराम करने लगा था कि आप लोगो ने पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-
01. बृजेश सिंह उर्फ साधू सिंह पुत्र तेजबहादुर सिंह उम्र 50 वर्ष नि0 बासूपुर थाना मान्धाता प्रतापगढ ।
02. अक्षय कुमार पटेल s/o रामदेव पटेल उम्र करीब 30 वर्ष नि0 ग्राम अमैया मऊ थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त बृजेश सिंह उर्फ साधू सिंह पुत्र तेजबहादुर सिंह उम्र 50 वर्ष नि0 बासूपुर थाना मान्धाता प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 410/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 115/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी का विवरण-

01. बृजेश सिंह उर्फ साधू सिंह के कब्जे से कुल 25 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा व 01 अदद जाइलो कार बरामद ।

02. अक्षय कुमार पटेल के कब्जे से कुल 1.350 ग्राम अवैध गाजा बरामद किया गया ।

पुलिस टीम-

01. थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 प्रभात वर्मा, हे0का0 अंजनी, हे0का0 आशाराम, का0 कमलदीप यादव, चालक वीसी मो0 अली थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ ।

02. उ0नि0 हेमन्त वर्मा मय हमराह का पंकज हे0का0 मुस्तकीम का0 विनोद कुमार थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 11.09.2025

थाना – मानिकपुर जनपद- प्रतापगढ़

मानिकपुर पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक बरामद, अभियुक्त दबोचा गया

प्रतापगढ़ पुलिस को सफलता – चोरी की मोटरसाइकिल का खुलासा, अभियुक्त गिरफ्तार

अपराधियों पर शिकंजा, मानिकपुर पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ युवक पकड़ा

वाहन चोरी का मामला उजागर, पुलिस ने बरामद की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमर नाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 10.09.2025 को उ0नि0 मो0 नदीम खान मय हमराह का0 रामकिशन राणा, का0 दर्वेश कुमार व अन्य पुलिस बल के साथ धरौली तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान धरौली ग्राम की ओर से आ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबन्दी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज पटेल पुत्र दशरथ निवासी लाटतारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ (उम्र लगभग 25 वर्ष) बताया।

पकड़े गये व्यक्ति के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल का ई-चालान एप पर सत्यापन करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर UP72BN1168 व स्वामी का नाम संदीप कुमार पुत्र रामपाल निवासी आलापुर कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ पाया गया। वाहन स्वामी से दूरभाष पर की गई वार्ता में बताया गया कि उसकी उक्त मोटरसाइकिल

दिनांक 01.05.2025 को फतेउल्लाहपुर से चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में उसके द्वारा UPCOP एप पर सूचना दर्ज करायी गयी थी।

पकड़े गये अभियुक्त धर्मराज पटेल द्वारा पूछताछ में चोरी की मोटरसाइकिल को लगभग 3-4 माह पूर्व उठाने की बात स्वीकार की गयी। बरामदगी/गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 179/25 धारा 317(2), 336(3) BNS का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
धर्मराज पटेल पुत्र दशरथ निवासी – लाटतारा, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र – लगभग 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-
एक चोरी की मोटरसाइकिल (स्प्लेंडर प्लस, काले-लाल रंग की) रजिस्ट्रेशन नंबर – UP72BN1168

गिरफ्तारी पुलिस टीम-
उ0नि0 श्री संतोष कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 मो0 नदीम खान, का॰ दर्वेश कुमार,कामनीष मौर्या,का0 रामदेव गौतम थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दि0-11.09.2025
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई – थाना रानीगंज पुलिस ने झपट्टामारी की घटना का किया खुलासा।

झपट्टामारी में शामिल 02 शातिर बालअपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

झपट्टामारी का वीवो मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद-

घटना का विवरण-
थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत मोर्डला साइंस स्कूल फतेहपुर मुड़ा के पास से दिनांक- 11.09.2025 को 02 अज्ञात लड़को द्वारा वादिनी का मोबाइल पर झपट्टामारी कर भाग जाने के प्रकरण में थाना रानीगंज में मु0अ0स0 310/2025 धारा 304 (2) बीएनएस बनाम 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी । इसी क्रम में दिनांक 11.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राजनारायण यादव मय हमराह उ0नि0 श्री गिरजा प्रसाद सिंह, हे0 का0 गंगासागर, का॰ नारायण जी, का0 योगेन्द्र सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज के मु0अ0स0 310/2025 धारा 304 (2),317(2)/3(5) बीएनएस0 से संबंधित 02 बालअपचारी थाना रानीगंज के अभियोग से सम्बन्धित झपट्टामारी का वीवो मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद किया गया व बाल अपचारियों के पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग उपरोक्त में धारा 317 (2)/3 (5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 mv Act मे सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01- 02बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में ।

बरामदगी-

01- 01मोबाइल फोन वीवो (झपट्टामारी),

01- घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 राजनारायण यादव मय हमराह उ0नि0 श्री गिरजा प्रसाद सिंह, हे0 का0 गंगासागर, का० नारायण जी, का0 योगेन्द्र सिंह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।